रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

16/6/23

पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत बावड़ी मे पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प०(जिल्दवार) पत्रावली दाखिल शुमार होकर अभिलेख भेजी।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 03/23 प्रा०पत्र

1– श्री सुरनदेव S/o रामकरण जाट निवासी– थाणोला तहसील– माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोकुल S/o धीसू जाट निवासी– थाणोला तहसील– माण्डल
2. श्री देवीलाल S/o धीसू जाट ——"——
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मा० माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

[redacted]

दिनांक– 16-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......थाणोला......पटवार हल्का.........बावडी.........तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 1249/89..............कुल किता.....01..............रकबा.....0.8600 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-23.......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त कारत की होने से पत्थरगढी कराने का [redacted] वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थाणोला पटवार हल्का.........बावडी.........तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं.......1249/89.............. कुल किता.................01..............रकबा......0.8600.हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.......मेघा को..........500/-रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023